अनवान:— करमी बनाम चमना
मुकदमा नम्बर:— 14/2024
निर्णय तारीख:— 11.07.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 14/2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2024/237

प्रार्थीगण

1. करमी पुत्र जगा।
2. जावता पुत्र जगा
3. माहींगा पुत्र जगा
4. रामा पुत्र जगा
5. वीरा पुत्र जगा (फौत) के वारिसान:—
   अ. नेताराम पुत्र वीरा
   ब. दजाराम पुत्र वीरा
   स. पूनीदेवी पुत्री वीरा
6. ठाकरी पुत्र महादेवा
7. बालका पुत्र महादेवा
8. भूपा पुत्र महादेवा
9. दाड़मीकुमारी पुत्री उदा
10. प्रिंश कुमार पुत्र उदा
11. भारमल पुत्र उदा
12. रूपाराम पुत्र उदा
13. सुआदेवी पत्नी उदा जाति कलबी, निवासी भादरणा, तहसील/जिला सांचौर (राजस्थान)
14. जोधा पुत्र देवजी जातियान ब्राह्मण, निवासी भादरणा, तहसील/जिला सांचौर (राजस्थान)
15. मोती पुत्र सवा
16. धनाराम पुत्र छोगाराम
17. सुरेशकुमार पुत्र छोगाराम
18. समूदेवी पत्नी छोगाराम

बनाम

अप्रार्थीगण

1. चमनाराम पुत्र भावा।
2. चेलाराम पुत्र लीला।
3. जेउ पत्नि भावा।
4. जीवाराम पुत्र भावा ।
5. देवाराम पुत्र भावा ।
6. नरसीराम पुत्र लीला।
7. मुंगीदेवी पत्नि नरसीराम।
8. मायंगाराम पुत्र भावा।
9. शंकराराम पुत्र लीला।
10. सांवलाराम दतक पुत्र दानाराम जातियान कलबी, निवासीगण भादरणा, तहसील/जिला सांचौर (राज.)।
11. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी बैंक शाखा भादरणा, जिला सांचौर (राज.)।
12. शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा देवड़ा, जिला सांचौर (राज.)।
13. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, जिला सांचौर (राज.)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

19. नारायण पुत्र तगा
20. रमेशकुमार पुत्र तगा
21. ढेपीदेवी पत्नी तगा जातियान ब्राहम्मण निवासीगण भादरुणा तहसील सांचौर।
22. जमना देवी पत्नी मूलाराम।
23. दिनेश कुमार पुत्र रामाराम।
24. नरेश कुमार पुत्र मूलाराम।
25. नेताराम पुत्र देवजी, जातियान कलबी निवासीगण भादरुणा तहसील सांचौर।
26. भगवानाराम पुत्र लखमाराम जाति प्रजापति निवासी भादरुणा तह. सांचौर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 12.11.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 12 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः– 11.07.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ग्राम भादरणा पटवार क्षेत्र चौरा तहसील [illegible] के निवासी है, प्रार्थी जोधा के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.95 हैक्टर का एवं प्रार्थी [illegible] जावता, माहींगा, रामा, नेताराम, दजाराम व पूनीदेवी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1087 रकबा 6.7592 हैक्टर का आया हुआ है एवं प्रार्थीगण ठाकरी वगैरा के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 5.8680 हैक्टर का आया हुआ है। प्रार्थीगण नारायण, रमेशकुमार व ढेपीदेवी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर नम्बर 2255/1111 रकबा 1.66 हैक्टर का, प्रार्थीगण धनाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

सुरेशकुमार व समूदेवी के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1106/1840, प्रार्थी मौती के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1111 रकबा 1.60 हैक्टर के आये हुऐ है। जो प्रार्थीगण के बन्ट व कब्जा काश्तसुदा है प्रार्थीगण के खेतो में से प्रार्थीगण ने आगे के खसरा नम्बर 1112 से जोडने के लिये रास्ते हेतु पुर्व में ही सरेण्डर किया हुआ है लेकिन उक्त खेतो मे प्रार्थीगण के आने–जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि प्रार्थीगण के उपयोग के लिए राजस्व रेकर्ड में नही है। प्रार्थीगण के इस खेतो में आवागमन हेतु नये मार्ग की आवश्यकता है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के उक्त खेत ग्राम भादरणा में होने से प्रार्थीगण के खेतो मे आवागमन हेतू सबसे नजदीकी (निकटतम) का रास्ता सरहद, मौजा भादरणा के खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.15 हैक्टर गै०मु० रास्ता एवं खसरा नम्बर 1105 में से धारा 251ए के प्रावधानो के अनुसार रास्ता दिलाया जावें। खसरा नम्बर 1112 व 1105 प्रार्थीगण के खातेदारी के खेतों व हरियाली जाने वाली डामर सड़क के बिच में पड़ता है। लेकिन उक्त आराजी अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ऐसी सुरत मे प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1087, 1090 व 1094, 1111, 1106/1840, 2255/1111 सरहद मौजा भादरणा मे आवागमन के लिए ग्राम भादरणा में स्थित खेत खसरा नम्बर 1112 व 1105 नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित लाल रंग ए से ब भाग का हिस्सा जो निकटतम व धारा 251ए आर. टी एक्ट के प्रावधानों के अनरूप है। इसलिए इसी खसरा नम्बर 1112 व 1105 की भूमि रास्ते के उपयोग के लिए रास्ते की भूमि घोषित करने के लिए प्रार्थीगण प्रार्थना करते है। प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन का कोई रास्ता प्रस्तावित रास्ते के अलावा नही है अतः नये रास्ते के लिये आवेदन कर रहे है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम भादरुणा पटवार हल्का चौरा के खेत खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 1112 रकवा 0.15 हैक्टर गै०मु०रास्ता, व खसरा नम्बर 1105 नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित ए से बी प्रस्तावित रास्ता लाल रंग का हिस्सा प्रार्थीगण/आवेदक के रास्ता प्रयोजनार्थ अत्यन्त आवश्यकता है व आवागमन उपयोग की अत्यन्त आवश्यकता होने से उक्त भूमि को आवेदक के उपयोग, आवागमन रास्ते हेतु सुविधा के लिए राजस्व अभिलेख मे अभिलिखित की जावें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 से 12 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 13 राजपैरोकार की ओर से तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। [illegible] बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हु[illegible] दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात, नजरी नक्शा, [illegible] निरीक्षक बिजरोल की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.07.2025 का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सु[illegible] किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा [illegible] में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई अन्य अधिकार [illegible] नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्था[illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है। भू अभिलेख निरीक्षक बिजरोल की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 03.07.2025 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के अपने खातेदारी में पहुंचने हेतु नवीन मार्ग की मांग की गई है प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग व नजरी नक्शा में सरकारी रास्ता खसरा सं. 1061 व 2259/1111 के बीच खसरा नं. 1112 व 1105 उक्त दोनों सरकारी रास्तों को जोड़ता है। खसरा संख्या 1112 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 1105 रकबा 5.68 हेक्टेयर में से 0.01 हेक्टेयर रास्ता प्रयोग में आ रहा है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है वर्तमान में उक्त रास्ता पर कोई वृक्ष व ढाणी अवस्थित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा भादरुणा पटवार हल्का चौरा के खसरा संख्या 1112 रकबा 0.15 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 1105 रकबा 5.68 हेक्टेयर में से 0.01 हेक्टेयर भू अभिलेख निरीक्षक बिजरोल द्वारा प्रस्तावित मौका जांच रिपोर्ट अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । भू अभिलेख निरीक्षक बिजरोल की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार ग्राम भादरुणा पटवार हल्का चौरा के खसरा संख्या 1112 रकबा 0.15 हेक्टेयर संपूर्ण व खसरा संख्या 1105 रकबा 0.568 हेक्टेयर भूमि में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 70 एक व दो के अनुसार वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारण प्रतिकार राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 1112 व 1105 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि का भुगतान करावे। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखे जब तक की ऐसे खातेदार राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:39 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **11.07.2025** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner